



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 21.07.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से क्रूरतापूर्वक भरे हुए 28 पशु एवं तस्करी में प्रयुक्त 02 आयशर केन्टर नं० HR-62A-9847 व नं० HR-56C-1768 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से क्रूरतापूर्वक भरे हुए 28 पशु एवं तस्करी में प्रयुक्त 02 आयशर केन्टर नं०- HR-62A-9847 व नं० HR-56C-1768 बरामद हुई हैं ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 477/26 धारा

109(1)/3(5) बीएनएस 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-रखवीर पुत्र मदनलाल निवासी गैवीपुर थाना बरवाला जनपद हिसार हरियाणा ।
- 2-जावेद पुत्र हाविज अब्दुलक निवासी मौ० केतीपुरा पुराना कस्बा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-वजीर पुत्र चिरजीलाल निवासी बनबोरी थाना बरवाला हिसार हरियाणा ।
- 4-आरिफ पुत्र अनीस निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-अनस पुत्र जमशेद निवासी मौहल्ला केतीपुरा पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 28 पशु ।
- तस्करी में प्रयुक्त 02 आयशर केन्टर नं०- HR-62A-9847 व नं० HR-56C-1768

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री श्याम सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 599 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 653 उमेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-रि०का० 388 हरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 21.07.2026

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट व 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान रठौडा पुलिया के पास हेवा-तिलवाडा तिराहे पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट व 01 अवैध चाकू बरामद हुई है ।



उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 166/26 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आकाश पुत्र रमेश निवासी ग्राम कासिमपूर खेडी थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- हीरो स्प्लेण्डर प्लस चैचिस नं० MBLHAW123L4H16037 व इंजन नं०-HA11EYL4H15335
- 01 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री जगवीर सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री सुनील कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 440 राशिद थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 4-है०का० 213 मोहित कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 21.07.2026

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार , जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद हुआ है। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर



मु0अ0सं0 249/26 धारा 9(1) ए(1)/25(2) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अनमोल पुत्र श्री जयकुमार निवासी ग्राम बसी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 0.315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि० श्री राहुल कुमार थाना खेकड़ा ।
- 2-है०का० 218 धर्मेन्द्र भाटी थाना खेकड़ा ।
- 3-का० 435 नवीन नागर थाना खेकड़ा ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 21.07.2026

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार , जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 250/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विकास पुत्र सुभाष निवासी ग्राम बसी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 0.315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि० श्री सुजीत कुमार थाना खेकड़ा ।
- 2-है०का० 428 कपिल रावत थाना खेकड़ा ।
- 3-का० 724 कुशलपाल थाना खेकड़ा ।

